

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)  
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप. प्रक. क.-367 / 2003  
संस्थित दिनांक-05.05.1999

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोजन

विरुद्ध

1. महेन्द्र पिता नरेन्द्र तिवारी उम्र 42 वर्ष,  
साकिन हाल मुकाम खुरमुण्डी थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. बीरबल पिता जगत यादव उम्र 43 वर्ष,  
साकिन भगतवाही थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... आरोपीगण

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक 31 / 12 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी बीरबल पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467, 468, 471, 420/34 एवं आरोपी महेन्द्र तिवारी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 471, 472, 420/34 का आरोप है कि आरोपी बीरबल ने दिनांक 08/04/1998 को ग्राम भगतवाही थाना अन्तर्गत बिरसा के पटवारी के साथ मिलकर, नायब तहसीलदार बिरसा की पदमुद्रा का निर्माण कर चंद्रपाल की खसरा नम्बर 20, रकबा 19.30 एकड़ भूमि के तेंदू वृक्षों को काटे जाने हेतु प्रतिभूति का निर्माण कर कूटरचना की गई एवं प्राप्त कूटरचित प्रति भूमि द्वारा यह जानते हुये कि कूटरचित दस्तावेज है, का उपयोग कर छल किया गया तथा आरोपी महेन्द्र तिवारी द्वारा प्रदत्त कूटरचित प्रतिभूति को आरोपी बीरबल द्वारा कपटपूर्वक बेईमानी से असली रूप में प्रयोग में यह जानते हुये लाया गया

कि उक्त प्रतिभूति कूटरचित दस्तावेज है व आरोपी महेन्द्र तिवारी द्वारा नायब तहसीलदार बिरसा की पदमुद्रा को शासन की क्षय करने के आशय, कूटरचित पदमुद्रा उपयोग में लाया गया तथा आरोपीगण द्वारा बेईमानीपूर्वक चंद्रपाल व शासन (वन विभाग) की सम्पत्ति को प्रवंचित कर बेईमानीपूर्वक चंद्रपाल की भूमि में स्थित तेंदू वृक्षों को बेईमानी से अपने उपयोग में सम्परिवर्तित कर उपयोग में लाया गया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार बैहर ने एक लिखित रिपोर्ट थाना बैहर में दी कि वह दिनांक 24.04.1998 को सालेटेकरी भ्रमण के दौरान वनोपज जांच में पाया गया कि दिनांक 08.04.1998 को ट्रक क्रमांक एम.पी.के.3739 एवं ट्रक क्रमांक एम.पी.20-0141 से ग्राम धोबघट से राजनादगांव का अवैध परिवहन किया गया, शंका होने पर उसने कृषक चन्द्रपाल की भूमि का निरीक्षण करने पर खसरा नम्बर 20 रकबा 9.630 एकड़ के तेंदू वृक्ष लकड़ी की कटाई होना पाया एवं कृषक ढोलु व सुमेरी गोंड की भूमि खसरा नम्बर 26/29, रकबा 2.15 एकड़ तथा कृषक रूपसिंह व पंचम गोंड की भूमि खसरा नम्बर 73, रकबा 9.73 एकड़ वृक्ष की कटाई होना पाया गया। कृषकों से पूछताछ करने पर बीरबल एवं जगत यादव निवासी भगतवाही के द्वारा लकड़ी काटकर ट्रक से परिवहन कर ले जाना बताया गया। उसके द्वारा बीरबल एवं जगत से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि महेन्द्र तिवारी पटवारी हल्का नम्बर 33, राजस्व निरीक्षक बिरसा द्वारा लकड़ी काटने एवं परिवहन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र खसरा नक्शा की नकल पटवारी रिपोर्ट पंचनामा दिया गया, जिसके आधार पर कृषकों की लकड़ी का परिवहन राजनादगांव में किया गया। दस्तावेजों की अवधि बढ़ाने हेतु महेन्द्र तिवारी पटवारी को दिया, जो उन्हें वापस नहीं किया। बीरबल यादव द्वारा उसे दस्तावेजों की छाया प्रति दी गई, जिसमें तहसीलदार बिरसा की पदमुद्रा शील व हस्ताक्षर प्रथमदृष्टया फर्जी होना पाया। महेन्द्र तिवारी ने उसे बताया कि पदमुद्रा शील राजेगांव से बनावाया। उसी के आधार पर दस्तावेज तैयार किये गये। दस्तावेज उसने जला दिये और पदमुद्रा तहसीलदार बैहर की बाउण्ड्री बाल में फेंकना बताया। नायब तहसीलदार बैहर की लिखित रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र बैहर में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0/98 पंजीबद्ध कर असल कायमी हेतु आरक्षी केन्द्र बिरसा भेजा गया, जिस पर आरक्षी केन्द्र बिरसा

की पुलिस के द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध असल अपराध क्रमांक 58/98 अन्तर्गत धारा 467, 468, 409, 471, 472, 420 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467, 468, 409, 471, 472, 420 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

(03) प्रकरण में पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा आरोपी बीरबल के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 467, 468, 471, 420/34 एवं आरोपी महेन्द्र तिवारी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 471, 472, 420/34 का आरोप पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा गया।

(04) आरोपीगण का बचाव है कि वह निर्दोष हैं। उनके विरुद्ध झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कर उन्हें झूठा फंसाया गया है।

(05) आरोपीगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (1) क्या आरोपी बीरबल ने दिनांक 08.4.1998 को ग्राम भगतवाही थानांतर्गत बिरसा के पटवारी के साथ मिलकर नायब तहसीलदार बिरसा की पदमुद्रा का निर्माण कर चंद्रपाल की भूमि खसरा नं. 20 रकबा 19.30 एकड़ भूमि के तेन्दू वृक्षों को काटे जाने हेतु प्रतिभूति का निर्माण कर कूटरचना की ?
- (2) क्या आरोपी बीरबल ने प्राप्त कूटरचित प्रतिभूति द्वारा यह जानते हुए कि कूटरचित दस्तावेज हैं, का उपयोग कर छल किया ?
- (3) क्या आरोपी महेन्द्र तिवारी ने स्वयं द्वारा प्रदत्त कूटरचित प्रतिभूति को आरोपी बीरबल द्वारा कपटपूर्वक बेईमानी से असली रूप में प्रयोग में

यह जानते हुए लाया गया कि उक्त प्रतिभूति कूटरचित दस्तावेज है ?

- (4) क्या आरोपी महेंद्र तिवारी ने नायब तहसीलदार बिरसा की पदमुद्रा को शासन को क्षय करने के आशय से कूटरचित पदमुद्रा उपयोग में लाया गया ?
- (5) क्या आरोपी—महेंद्र तिवारी एवं बीरबल द्वारा चंद्रपाल व शासन (वन विभाग) की संपत्ति को प्रवंचित कर बेईमानीपूर्वक चंद्रपाल की भूमि में स्थित तेन्दू वृक्षों को बेईमानी से अपने उपयोग में सम्परिवर्तित कर उपयोग में लाया गया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3, 4 एवं 5 :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3, 4 एवं 5 का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी पी.एस.त्रिपाठी (अ.सा. 6) का कहना है कि उसने दिनांक 08.04.1998 को नायब तहसीलदार बिरसा कार्य उसके द्वारा देखा जा रहा था। फॉरेस्ट नाका सालेटेकरी के निरीक्षण के दौरान लकड़ियों का अवैध रूप से परिवहन होने का इन्द्राज पाये जाने पर संबंधित गांव जिन कृषकों की खेत की लकड़ी ले जाने का उल्लेख था। उन्होंने बताया कि आरोपी बीरबल ने लकड़ी का परिवहन किया। बीरबल से कागजात मांगने पर दस्तावेजों की छायाप्रति दी। हस्ताक्षर परियुक्त मुद्रा प्रथमदृष्टया मिथ्या पाया गया। ग्रामीणों की ऋण पुस्तिका एवं पदमुद्रा व हस्ताक्षर भी फर्जी पाये गये, जिसकी रिपोर्ट उसने लिखित में थाने में की थी, जो प्रदर्श पी-05 है। पुलिस ने प्रदर्श पी-02 में उल्लेखित भू-अधिकार ऋण पुस्तिका, अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, ग्राम पंचायत सुखपारा की छायाप्रति, चन्द्रपाल की खसरा नम्बर 20 का वृक्ष काटने पर परिवहन का पांचसाला खसरा जप्त किये थे। आरोपी बीरबल ने बताया

था कि प्रदर्श पी-02 के दस्तावेज आरोपी महेन्द्र ने उसे दिये थे। उसके कार्यालय से लकड़ी काटने का आदेश और परिवहन का आदेश नहीं हुआ था। दस्तावेज किसके द्वारा तैयार किये गये उसने कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं की।

(08) फरियादी नायब तहसीलदार के अभिवचनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी डी.एस.मरकाम (अ.सा. 15) का कहना है कि उसने दिनांक 01.05.1998 को नायब तहसीलदार टी.एस.त्रिपाठी के प्रदर्श पी-05 के आवेदन के आधार पर थाना बैहर में अपराध क्रमांक 0/98 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 472, 409 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया था, जो प्रदर्श पी-03 है। विवेचना हेतु थाना प्रभारी बिरसा को भेजा था। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी रवनूसिंह (अ.सा. 13) का कहना है कि उसने दिनांक 02.05.1998 को प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-10 की केस डायरी एवं फरियादी के आवेदन थाना बिरसा में दिया था।

(09) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता एम.एस.धुर्वे (अ.सा. 12) का भी कहना है कि उसने अपराध क्रमांक 58/98 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर प्रदर्श पी-06 का मेमोरेण्डम तैयार किया था एवं प्रदर्श पी-07 की जप्ती कार्यवाही की थी। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 एवं प्रदर्श पी-08 की कार्यवाही उसने की थी। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-09 भी उसके द्वारा तैयार किया गया था। साक्षी टी.एस.त्रिपाठी, भूषणसिंह, प्रेमननलाल, ढोलुसिंह, चन्द्रलाल, गुलाबसिंह, विनोद के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। आरोपी महेन्द्र और बीरबल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-10 और 11 तैयार किया था। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(10) अभियोजन साक्षी भूषण कुमार (अ.सा. 1) का कहना है कि वर्ष 1998 में नायब तहसीलदार बिरसा में वह रीडर था। प्रदर्श पी-01 की जानकारी उसे नहीं है। प्रदर्श पी-02 किन दस्तावेजों की जप्ती हुई उसकी जानकारी भी उसे नहीं है। उसे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि जांच में पट्टा फर्जी पाया गया। उसे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि पट्टा महेन्द्र ने पट्टा बनाकर दिया एवं इसी प्रकार अभियोजन साक्षी प्रेमननलाल (अ.सा. 2) का कहना है कि आरोपीगण ने क्या किया उसकी जानकारी उसे नहीं है। तहसीलदार ने उसे कथन के दो वर्ष पूर्व बंद लिफाफा



दिया था जो उसने थाने में दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

(11) अभियोजन साक्षी ढोलु (अ.सा. 3) का कहना है कि उसने बीरबल को तेंदू की लकड़ी के वृक्ष नहीं बेचे और न ही उसे लकड़ी काटकर ले जाने की जानकारी थी। वह मजदूरी करने बाहर चला गया था। उसे कोई जानकारी नहीं है। बीरबल ने उसे 1500/- रुपये दिये थे। टीपी कहा से बनाई उसे जानकारी नहीं है। साक्षी को न्यायालय द्वारा पूछने पर बताया कि बीरबल ने उसे 2400/- रुपये के वृक्ष लेने का सौदा किया था, अनापत्ति प्रमाण पत्र किसने बनाया उसे जानकारी नहीं है एवं इसी प्रकार अभियोजन साक्षी चन्द्रलाल (अ.सा. 4) का कहना है कि उसके कथन के तीन वर्ष पूर्व उसने बीरबल को 1000/- रुपये में एक तेंदू का पेड़ बेचा था। बीरबल ने उसे पैसे नहीं दिये। उसने लकड़ी काटने और बेचने के कागजात नहीं बनाये। बीरबल ट्रक से लकड़ी ले गया, कहां बेचे उसे जानकारी नहीं है।

(12) अभियोजन साक्षी विष्णुसिंह (अ.सा. 5) का कहना है कि उसके सामने पुलिस ने प्रदर्श पी-06 में उल्लेखित अनुक्रमांक 1 से 6 के दस्तावेज जप्त नहीं किये थे। प्रदर्श पी-02 पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं और न ही उसने पुलिस को कोई बयान दिये थे और आरोपी महेन्द्र पटवारी ने उसे कोई जमीन का पट्टा नहीं दिया था और न ही उसने नायब तहसीलदार को बताया था कि पटवारी ने उसे फर्जी पट्टा दिया है एवं इसी प्रकार अभियोजन साक्षी गुलाबसिंह (अ.सा. 7) का कहना है कि आरोपीगण ने क्या किया उसे जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की। वह अप्रैल 1998 में लकड़ी लेकर राजनादगांव नहीं गया और न ही उसे बीरबल ने एन.ओ.सी. प्रमाण पत्र दिया।

(13) अभियोजन साक्षी मंगलसिंह (अ.सा. 8) का कहना है कि उसके सामने आरोपी महेन्द्र ने पुलिस को यह नहीं बताया कि नायब तहसीलदार बिरसा की फर्जी पदमुद्रा सरदार पीतमसिंह रजेगांव से मार्च 1998 में पच्चीस रुपये में बनवायी, जिसका उपयोग चन्द्रलाल, ढोलुसिंह, रूपसिंह के खेत की लकड़ी काटने और परिवहन करने के दस्तावेज तैयार किये। उसको सामने यह भी नहीं बताया कि विष्णु की फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार की और न ही पदमुद्रा तहसीलदार के पीछे छिपाया और दस्तावेज जला दिये। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-06, 07 पर हस्ताक्षर थाने पर करवाये थे। थानेदार

बोल रहा था कि पटवारी ने लकड़ी बेची है। उसने कोई बयान नहीं दिये थे एवं इसी प्रकार अभियोजन साक्षी रायसिंह (अ.सा. 9) का कहना है कि उसके सामने आरोपी महेन्द्र ने पुलिस को प्रदर्श पी-06 का मेमोरेण्डम नहीं दिया था और न ही बताया था कि नायब तहसीलदार बिरसा की पदमुद्रा एवं गोलशील सरदार प्रहलाद से पच्चीस रुपये में बनवाई। उसके सामने यह भी नहीं बताया था कि अनापत्ति प्रमाण पत्र फर्जी बनाया था और ऋण पुस्तिका भी फर्जी बनवाई। नायब तहसीलदार द्वारा जांच करने पर दस्तावेज जला दिया यह भी नहीं बताया। उसके सामने आरोपी महेन्द्र से शील जप्त नहीं की गई थी और न ही प्रदर्श पी-06 का मेमोरेण्डम तैयार किया गया था। उसने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

(14) अभियोजन साक्षी तीरथदास (अ.सा. 10) का कहना है कि आरोपीगण ने क्या किया उसे जानकारी नहीं है। उसके सामने पुलिस ने गुलाब से कोई ट्रक जप्त नहीं किया, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-08 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है एवं इसी प्रकार अभियोजन साक्षी नीलकंठ (अ.सा. 11) का कहना है कि उसके सामने नायब तहसीलदार बिरसा के ऑफिस से कोई दस्तावेज जप्त नहीं किये। आरोपी महेन्द्र से भी कोई आवेदन जप्त नहीं किया। प्रदर्श पी-09 पर पुलिस ने थाने में हस्ताक्षर करवा लिये थे। उसने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे तथा अभियोजन साक्षी रामदयाल (अ.सा. 14) का कहना है कि दिनांक 31.07.1998 को उपनिरीक्षक एम.एस.धुर्वे ने उसे थाने पर बुलाया था और जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-08 पर हस्ताक्षर करवाये थे।

(15) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता का बचाव है कि वह निर्दोष हैं। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। नायब तहसीलदार पी.एस.त्रिपाठी (अ.सा. 6) के कथनों को प्रतिपरीक्षण में खण्डन होने से तथा विवेचनाकर्ता के कथनों का अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों द्वारा समर्थन नहीं करने से अभियोजन का प्रकरण संदेहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपीगण को दिया जाये।

(16) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(17) अभियोजन साक्षी पी.एस.त्रिपाठी (अ.सा. 6) का कहना है कि उसने दिनांक 08.04.1998 को नायब तहसीलदार बिरसा कार्य उसके द्वारा देखा जा रहा था। फॉरेस्ट नाका सालेटेकरी के निरीक्षण के दौरान लकड़ियों का अवैध रूप से परिवहन होने का इन्द्राज पाये जाने पर संबंधित जिन कृषकों की खेत की लकड़ी ले जाने का उल्लेख था। उन्होंने बताया कि आरोपी बीरबल ने लकड़ी का परिवहन किया। बीरबल से कागजात मांगने पर दस्तावेजों की छायाप्रति दी। हस्ताक्षर परियुक्त मुद्रा प्रथमदृष्टया मिथ्या पाया गया। ग्रामीणों की ऋण पुस्तिका एवं पदमुद्रा व हस्ताक्षर भी फर्जी पाये गये, जिसकी रिपोर्ट उसने लिखित में थाने में की थी, जो प्रदर्श पी-05 है। पुलिस ने प्रदर्श पी-02 में उल्लेखित भू-अधिकार ऋण पुस्तिका, अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, ग्राम पंचायत सुखपारा की छायाप्रति, चन्द्रपाल की खसरा नम्बर 20 का वृक्ष काटने पर परिवहन का पांचसाला खसरा जप्त किये थे। आरोपी बीरबल ने बताया था कि प्रदर्श पी-02 के दस्तावेज आरोपी महेन्द्र ने उसे दिये थे। उसके कार्यालय से लकड़ी काटने का आदेश और परिवहन का आदेश नहीं हुआ था। दस्तावेज किसके द्वारा तैयार किये गये उसने कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं की। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसने परिवहन करते हुये ट्रक नहीं पकड़ा। बीरबल से शीलमुद्रा और ऋण पुस्तिका जप्त नहीं की। अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पांचसाला नक्शे की मूल प्रति उसने नहीं देखी। अनापत्ति प्रमाण पत्र और परिवहन संबंधित दस्तावेज में फर्जी पदमुद्रा एवं शील का ऑरिजनल रूप उसने नहीं देखा। प्रदर्श पी-05 का दस्तावेज स्टेनों ने टायप किया था और उसने हस्ताक्षर कर थाने भिजवाया था। उसके सामने आरोपी महेन्द्र से भी कोई पदमुद्रा एवं कोई गोल शील तथा दस्तावेज जप्त नहीं किये।

(18) फरियादी नायब तहसीलदार के अभिवचनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी डी.एस.मरकाम (अ.सा. 15) का कहना है कि उसने दिनांक 01.05.1998 को नायब तहसीलदार टी.एस.त्रिपाठी के प्रदर्श पी-05 के आवेदन के आधार पर थाना बैहर में अपराध क्रमांक 0/98 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 472, 409 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया था, जो प्रदर्श पी-03 है। विवेचना हेतु थाना प्रभारी बिरसा को भेजा था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसने बिना जांच



के अपराध पंजीबद्ध किया। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी रवनूसिंह (अ.सा. 13) का कहना है कि उसने दिनांक 02.05.1998 को प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-10 की केस डायरी एवं फरियादी के आवेदन थाना बिरसा में दिया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि केस डायरी में क्या दस्तावेज थे उसकी जानकारी उसे नहीं है।

(19) अभियोजन साक्षी / विवेचनाकर्ता एम.एस.धुर्वे (अ.सा. 12) का भी कहना है कि उसने अपराध क्रमांक 58/98 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर प्रदर्श पी-06 का मेमोरेण्डम तैयार किया था एवं प्रदर्श पी-07 की जप्ती कार्यवाही की थी। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 एवं प्रदर्श पी-08 की कार्यवाही उसने की थी। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-09 भी उसके द्वारा तैयार किया गया था। साक्षी टी.एस.त्रिपाठी, भूषणसिंह, प्रेमनलाल, ढोलुसिंह, चन्द्रलाल, गुलाबसिंह, विनोद के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। आरोपी महेन्द्र और बीरबल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-10 और 11 तैयार किया था। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(20) अभियोजन साक्षी भूषण कुमार (अ.सा. 1) का कहना है कि वर्ष 1998 में नायब तहसीलदार बिरसा में वह रीडर था। प्रदर्श पी-01 की जानकारी उसे नहीं है। प्रदर्श पी-02 किन दस्तावेजों की जप्ती हुई उसकी जानकारी भी उसे नहीं है। उसे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि जांच में पट्टा फर्जी पाया गया। उसे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि पटवारी महेन्द्र ने पट्टा बनाकर दिया।

(21) अभियोजन साक्षी प्रेमनलाल (अ.सा. 2) का कहना है कि आरोपीगण ने क्या किया उसकी जानकारी उसे नहीं है। तहसीलदार ने उसे कथन के दो वर्ष पूर्व बंद लिफाफा दिया था जो उसने थाने में दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

(22) अभियोजन साक्षी ढोलु (अ.सा. 3) का कहना है कि उसने बीरबल को तेंदू की लकड़ी के वृक्ष नहीं बेचे और न ही उसे लकड़ी काटकर ले जाने की जानकारी थी। वह मजदूरी करने बाहर चला गया था। उसे कोई जानकारी नहीं है। बीरबल ने उसे 1500/- रुपये दिये थे। टीपी कहा से बनाई उसे जानकारी नहीं है। साक्षी को न्यायालय द्वारा पूछने पर बताया कि बीरबल ने उसे 2400/- रुपये के वृक्ष

लेने का सौदा किया था, अनापत्ति प्रमाण पत्र किसने बनाया उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि उसके स्वामित्व के तेंदू के वृक्ष कौन काटकर ले गया उसे उसकी जानकारी नहीं है।

(23) अभियोजन साक्षी चन्द्रलाल (अ.सा. 4) का कहना है कि उसके कथन के तीन वर्ष पूर्व उसने बीरबल को 1000/- रुपये में एक तेंदू का पेड़ बेचा था। बीरबल ने उसे पैसे नहीं दिये। उसने लकड़ी काटने और बेचने के कागजात नहीं बनाये। बीरबल ट्रक से लकड़ी ले गया, कहां बेचे उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि पेड़ काटने के पूर्व मजदूरी के लिये बाहर चला गया था। किसने पेड़ काटवाये इसकी जानकारी उसे नहीं है।

(24) अभियोजन साक्षी विष्णुसिंह (अ.सा. 5) का कहना है कि उसके सामने पुलिस ने प्रदर्श पी-06 में उल्लेखित अनुक्रमांक 1 से 6 के दस्तावेज जप्त नहीं किये थे। प्रदर्श पी-02 पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं और न ही उसने पुलिस को कोई बयान दिये थे और आरोपी महेन्द्र पटवारी ने उसे कोई जमीन का पट्टा नहीं दिया था और न ही उसने नायब तहसीलदार को बताया था कि पटवारी ने उसे फर्जी पट्टा दिया है।

(25) अभियोजन साक्षी गुलाबसिंह (अ.सा. 7) का कहना है कि आरोपीगण ने क्या किया उसे जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की। वह अप्रैल 1998 में लकड़ी लेकर राजनादगांव नहीं गया और न ही उसे बीरबल ने एन.ओ.सी. प्रमाण पत्र दिया।

(26) अभियोजन साक्षी मंगलसिंह (अ.सा. 8) का कहना है कि उसके सामने आरोपी महेन्द्र ने पुलिस को यह नहीं बताया कि नायब तहसीलदार बिरसा की फर्जी पदमुद्रा सरदार पीतमसिंह रजेगांव से मार्च 1998 में पच्चीस रुपये में बनवायी, जिसका उपयोग चन्द्रलाल, ढोलुसिंह, रूपसिंह के खेत की लकड़ी काटने और परिवहन करने के दस्तावेज तैयार किये। उसको सामने यह भी नहीं बताया कि विष्णु की फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार की और न ही पदमुद्रा तहसीलदार के पीछे छिपाया और दस्तावेज जला दिये। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-06, 07 पर हस्ताक्षर थाने पर करवाये थे। थानेदार बोल रहा था कि पटवारी ने लकड़ी बेची है। उसने कोई बयान नहीं दिये थे।

(27) अभियोजन साक्षी रायसिंह (अ.सा. 9) का कहना है कि उसके सामने आरोपी महेन्द्र ने पुलिस को प्रदर्श पी-06 का मेमोरेण्डम नहीं दिया था और न ही बताया था कि नायब तहसीलदार बिरसा की पदमुद्रा एवं गोलशील सरदार प्रहलाद से पच्चीस रुपये में बनवाई। उसके सामने यह भी नहीं बताया था कि अनापत्ति प्रमाण पत्र फर्जी बनाया था और ऋण पुस्तिका भी फर्जी बनवाई। नायब तहसीलदार द्वारा जांच करने पर दस्तावेज जला दिया यह भी नहीं बताया। उसके सामने आरोपी महेन्द्र से शील जप्त नहीं की गई थी और न ही प्रदर्श पी-06 का मेमोरेण्डम तैयार किया गया था। उसने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

(28) अभियोजन साक्षी तीरथदास (अ.सा. 10) का कहना है कि आरोपीगण ने क्या किया उसे जानकारी नहीं है। उसके सामने पुलिस ने गुलाब से कोई ट्रक जप्त नहीं किया, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-08 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है।

(29) अभियोजन साक्षी नीलकंठ (अ.सा. 11) का कहना है कि उसके सामने नायब तहसीलदार बिरसा के ऑफिस से कोई दस्तावेज जप्त नहीं किये। आरोपी महेन्द्र से भी कोई आवेदन जप्त नहीं किया। प्रदर्श पी-09 पर पुलिस ने थाने में हस्ताक्षर करवा लिये थे। उसने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

(30) अभियोजन साक्षी रामदयाल (अ.सा. 14) का कहना है कि दिनांक 31.07.1998 को उपनिरीक्षक एम.एस.धुर्वे ने उसे थाने पर बुलाया था और जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-08 पर हस्ताक्षर करवाये थे। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

(31) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी नायब तहसीलदार पी.एस.त्रिपाठी (अ.सा. 6) के कथनों का प्रतिपरीक्षण में खण्डन हुआ है एवं विवेचनाकर्ता एम.एस.धुर्वे (अ.सा. 12) के कथनों का अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों ने आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट, विवेचनाकर्ता, कायमीकर्ता एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से आरोपी बीरबल ने दिनांक 08/04/1998 को ग्राम भगतवाही थाना अन्तर्गत बिरसा के पटवारी के साथ मिलकर, नायब तहसीलदार बिरसा की पदमुद्रा का निर्माण कर चंद्रपाल की खसरा नम्बर 20, रकबा 19.30 एकड़ भूमि के तेंदू वृक्षों को

काटे जाने हेतु प्रतिभूति का निर्माण कर कूटरचना की गई एवं प्राप्त कूटरचित प्रति भूमि द्वारा यह जानते हुये कि कूटरचित दस्तावेज है, का उपयोग कर छल किया गया तथा आरोपी महेन्द्र तिवारी द्वारा प्रदत्त कूटरचित प्रतिभूति को आरोपी बीरबल द्वारा कपटपूर्वक बेईमानी से असली रूप में प्रयोग में यह जानते हुये लाया गया कि उक्त प्रतिभूति कूटरचित दस्तावेज है व आरोपी महेन्द्र तिवारी द्वारा नायब तहसीलदार बिरसा की पदमुद्रा को शासन की क्षय करने के आशय, कूटरचित पदमुद्रा उपयोग में लाया गया तथा आरोपीगण द्वारा बेईमानीपूर्वक चंद्रपाल व शासन (वन विभाग) की सम्पत्ति को प्रवंचित कर बेईमानीपूर्वक चंद्रपाल की भूमि में स्थित तेंदू वृक्षों को बेईमानी से अपने उपयोग में सम्परिवर्तित कर उपयोग में लाया गया। यह विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है।

(32) उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर अभियोजन यह युक्ति-युक्त संदेह से परे यह साबित करने में असफल रहा कि आरोपी बीरबल ने दिनांक 08/04/1998 को ग्राम भगतवाही थाना अन्तर्गत बिरसा के पटवारी के साथ मिलकर, नायब तहसीलदार बिरसा की पदमुद्रा का निर्माण कर चंद्रपाल की खसरा नम्बर 20, रकबा 19.30 एकड़ भूमि के तेंदू वृक्षों को काटे जाने हेतु प्रतिभूति का निर्माण कर कूटरचना की गई एवं प्राप्त कूटरचित प्रति भूमि द्वारा यह जानते हुये कि कूटरचित दस्तावेज है, का उपयोग कर छल किया गया तथा आरोपी महेन्द्र तिवारी द्वारा प्रदत्त कूटरचित प्रतिभूति को आरोपी बीरबल द्वारा कपटपूर्वक बेईमानी से असली रूप में प्रयोग में यह जानते हुये लाया गया कि उक्त प्रतिभूति कूटरचित दस्तावेज है व आरोपी महेन्द्र तिवारी द्वारा नायब तहसीलदार बिरसा की पदमुद्रा को शासन की क्षय करने के आशय, कूटरचित पदमुद्रा उपयोग में लाया गया तथा आरोपीगण द्वारा बेईमानीपूर्वक चंद्रपाल व शासन (वन विभाग) की सम्पत्ति को प्रवंचित कर बेईमानीपूर्वक चंद्रपाल की भूमि में स्थित तेंदू वृक्षों को बेईमानी से अपने उपयोग में सम्परिवर्तित कर उपयोग में लाया गया। अभियोजन का प्रकरण संदेहस्पद है। अतः संदेह का लाभ आरोपीगण को दिया जाना उचित है।

(33) परिणाम स्वरूप आरोपी बीरबल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467, 468, 471, 420/34 एवं आरोपी महेन्द्र तिवारी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 471,

472, 420 / 34 के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(34) प्रकरण में आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है, उनके पक्ष में निष्पादित पूर्व के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

(35) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी.के.3739 सुपुर्दनामा पर है। सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो एवं शेष जप्तशुदा सम्पत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित  
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)